



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234634
CG-DL-E-29032022-234634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]
No. 226]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/CHAITRA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(विभाग राजस्व)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 229(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139कक और धारा 234ज द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 114 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5क) प्रत्येक व्यक्ति जिससे धारा 139कक की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपनी आधार संख्या को विहित प्ररूप और रीति में विहित अधिकारी को सूचित किया जाना अपेक्षित है और वह उक्त धारा में निर्दिष्ट तारीख तक ऐसा करने में असफल हो गया है, तो वह विहित अधिकारी को अपनी आधार संख्या की पश्चातवर्ती सूचना के समय फीस के रूप में,—

(क) उस दशा में, जहां ऐसी सूचना धारा 139कक की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तारीख से तीन मास के भीतर दी जाती है, पांच सौ रुपए; और

(ख) अन्य सभी दशाओं में, एक हजार रुपए

के समतुल्य रकम संदत्त करने का दायी होगा।”।

3. मूल नियमों के नियम 114ककक में,—

(क) उपनियम (1) में, “2020” अंकों के स्थान पर “2022” अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस उपनियम के उपबंध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होंगे।”;

(ग) उपनियम (3) में, “तारीख 31 मार्च, 2020” अंकों के स्थान पर ‘नियम 114 के उपनियम (5क) के अनुसार फीस के संदाय के पश्चात् 31 मार्च, 2020,’ अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 17/2022/फा. सं. 370142/14/2022-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 24(अ), तारीख 18 जनवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 229(E).—In exercise of the powers conferred by sections 139AA and 234H read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: —

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2022.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (herein after referred to as principal rules), in rule 114, after sub-rule 5, the following sub-rule shall be inserted, namely: —

“(5A) Every person who, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 139AA, is required to intimate his Aadhaar number to the prescribed authority in the prescribed form and manner, fails to do so by the date referred to in the said sub-section, shall, at the time of subsequent intimation of his Aadhaar number to the prescribed authority, be liable to pay, by way of fee, an amount equal to, —

(a) five hundred rupees, in a case where such intimation is made within three months from the date referred to in sub-section (2) of section 139AA; and

(b) one thousand rupees, in all other cases.”.

3. In the Principal rules, in rule 114AAA, —

(a) in sub-rule(1), for the figures “2020”, the figures “2022” shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the provisions of this sub-rule shall have effect from the date specified by the Board.”;
(c) in sub-rule (3), for the figures “2020”, the figures, words and letter ‘2022, after payment of fee in accordance with sub-rule (5A) of rule 114,’ shall be substituted.

[Notification No. 17/2022/F. No. 370142/14/2022-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy. Tax Policy and Legislation

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (2nd Amendment) Rules, 2022, *vide* notification number G.S.R. 24(E) dated 18th January, 2022.